भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3225
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए दिशानिर्देश

+3225. श्री रवनीत सिंह:
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 के कारण लगाई गई रोक में छूट देने के बाद विभिन्न पर्यटन स्थलों विशेषकर देश के पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और आईसीएमआर ने इस पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन पर्यटकों द्वारा कोविड-रोधी व्यवहार नहीं किए जाने से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है जिससे कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने दिशानिर्देशों में पर्यटक स्थलों पर जाने वाले लोगों की यात्रा पर कुछ रोक लगाने और देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों की यात्रा कर रहे इन लोगों द्वारा कोविड-रोधी व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कुछ अन्य उपाय किए जा रहे हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश के पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले ऐसे पर्यटकों, जो वहां कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा वहां भीड़-भाड़ कर रहे हैं, के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): पर्यटक स्थल वार पर्यटकों के आगमन का आंकड़ा पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वार घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण अनुबंध में है।

(ग) से (ड.): पर्यटन का विकास एवं संवर्द्धन प्रमुख रूप से राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, कोविड-19 के पश्चात् बहाली के लक्ष्य से पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन सेवा प्रदाताओं के विभिन्न खंडों के लिए परिचालन सिफारिशें तैयार की है जिससे निर्वाध एवं सुरक्षित तरीके से व्यापार की बहाली सुगम हो सके। इस प्रकार की सिफारिशें यात्रा एजेंट, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटर,पर्यटक गाइड और सुविधाप्रदाताओं के लिए जारी की गई हैं। इन्हे राज्य सरकारों तथा पर्यटन/ आतिथ्य हितधारकों के परामर्श से और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की गई सम्पूर्ण दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

*****

अनुबंध

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए दिशानिर्देश के संबंध में दिनांक 09.08.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. +3225 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वार घरेलू पर्यटक यात्राएं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीवी)

		2018		**2019**		**2020**	
क्र. सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**डीटीवी**	**एफटीवी**	**डीटीवी**	**एफटीवी**	**डीटीवी**	**एफटीवी**
1	अंडमान और	498279	15242	505398	16206	191207	5412

	निकोबार द्वीप						
2	आंध्र प्रदेश	194767874	281083	237051508	280356	70828590	67591
3	अरुणाचल प्रदेश	512436	7653	555639	7825	42871	961
4	असम	4710617	15592	5447805	26878	1266898	7285
5	बिहार	33621613	1087971	33990038	1093141	5638024	308080
6	चंडीगढ़	1538796	39681	1563795	44132	417953	12218
7	छत्तीसगढ़	19329501	14399	17304506	6817	2810227	2322
8	दादरा और नागर हवेली	609435	1608	618330	1666	104959	222
9	दमन और दीव	898824	5694	897804	5703	297436	1382
10	दिल्ली #	29114423	2740502	36467598	2983436	9583671	681230
11	गोवा	7081559	933841	7127287	937113	3258715	302751
12	गुजरात	54369873	513113	58864661	595607	19464517	210047
13	हरियाणा	4888952	73977	4549017	48046	2114731	17474
14	हिमाचल प्रदेश	16093935	356568	16829231	382876	3170714	42665
15	झारखण्ड	35408822	175801	35580768	176043	2574704	490
16	जम्मू और कश्मीर	17076315	139520	16163330	57920	2519524	5317
17	कर्नाटक	214306456	543716	227934714	608754	77453339	165325
18	केरल	15604661	1096407	18384233	1189771	4988972	340755
19	लक्षद्वीप	10435	1313	6985	820	3462	413
20	लदाख	-	-	241285	38652	6743	1126
21	मध्य प्रदेश	83969799	375476	88707139	327958	23519632	99819
22	महाराष्ट्र #	119191539	5078514	149294703	5528704	39234591	1262409
23	मणिपुर	176109	6391	167560	13608	49669	3139
24	मेघालय	1198340	18114	1245633	25813	24734	2311
25	मिजोरम	76551	967	163762	2249	30890	265
26	नागालैंड	101588	5010	125949	5577	10979	518
27	ओडिशा	15208540	110818	15307637	115128	4622273	10206
28	पुडुचेरी	1616660	141133	1713248	149919	1114942	92080
29	पंजाब	44595061	1200969	47385387	1101343	16692197	359114
30	राजस्थान	50235643	1754348	52220431	1605560	15117239	446457
31	सिक्किम	1426127	71172	1421823	133388	316408	19935
32	तमिलनाडु	385909376	6074345	494865257	6866327	140651241	1228323
33	तेलंगाना	92878329	318154	83035894	323326	39997001	46694
34	त्रिपुरा	414388	102861	437201	154405	127815	31877
35	उत्तर प्रदेश	285079848	3780752	535855162	4745181	86122293	890932
36	उत्तराखंड	35609650	151320	37585920	152273	7005264	41339
37	पश्चिम बंगाल	85657365	1617105	92366025	1656145	28841732	463285
	कुल योग	**1853787719**	**28851130**	**2321982663**	**31408666**	**610216157**	**7171769**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभाग

\# **2018 पर 2019/18 के लिए अखिल भारतीय वृद्धि दर को लागू करके 2019 के लिए आंकड़े का अनुमान लगाया जाता है और 2019 के आंकड़े पर 2020/19 के लिए अखिल भारतीय वृद्धि दर को लागू करके 2020 के आंकड़े का अनुमान लगाया जाता है।**

******